26.08.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS